Urg. No - 165
30/1/2026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ कक्ष सं. 28 लखनऊ।

वाद संख्या - 123221/2025
अन्तर्गत धारा - 14 सरफेसी एक्ट
थाना - थानाफीफरम
नियत दिनांक - 21/1/2026

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हरीश कुमार जोगिड

बनाम

मेसर्स सिल्वर फार्म्स एण्ड बेवरेज एल.एल.पी. द्वारा अभिषेक जीवास्तव आदि।

नकल आदेश दिनांकित 21/1/2026 की सत्यप्रति छायाप्रति संलग्न है।



30/1/2026

7/2/2026

7.2.26

7.2.26

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, कक्ष संख्या 28, लखनऊ
पीठासीन अधिकारी- (PRIYANKA), (उ०प्र न्यायिक सेवा)-UP 2371
Case No-123221/2025
UPLK041399272025

Bank of Baroda through Harish Kumar Jangid
Versus
M/s Silver Fox Food and Beverages LLP through its partner Abhishek Srivastava & Ors.

दिनांक: 21.01.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पूर्व में सुना जा चुका है। आवेदक को अन्तर्गत धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम पर सुना गया।

आवेदक **Bank of Baroda through Harish Kumar Jangid** की तरफ से प्रार्थनापत्र विपक्षीगण एवं अन्य के विरूद्ध धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है और याचना की गयी है कि **Residential House No. SS/2/497, Sector– F, Jankipuram, Lucknow having Land area 30.00 Sq. Meter and Total Covered Area 41.821 Sq. Meter and the boundary of Property as per Sale Deed are East :– Plot No. S.S. 2/487; West :– 6.00 Mtr Wide Road; North :– Plot No. S.S. 2/480 ; South :– 6.00 Meter Wide Road** का कब्जा दिलाया जाए।

आवेदक द्वारा संक्षेप में यह कथन किया गया है कि विपक्षी ऋणी है तथा उनके द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी को उक्त अधिनियम की धारा–13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक–05.12.2024 को दिया गया, किन्तु निर्धारित अवधि–60 दिन के बाद भी धनराशि जमा नहीं की गयी। प्रतिभूत सम्पत्ति इस न्यायालय के प्राधिकार में भी स्थित है। अतः प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा आवेदक को दिलाया जाए।

आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में title deed, Notice u/s 13(2) dated 05.12.2024, Notice u/s 13(4) dated 08.04.2025, statement of account की प्रतियां दाखिल की है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विपक्षी को धारा–13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक– 05.12.2024 को दिया गया। प्रार्थी द्वारा नोटिस देने के बाद 60 दिन का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय में दाखिल किया गया। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में किसी उच्चतर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश या व्यादेश प्राप्त नहीं है और न ही उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा कोई अन्य वाद, किसी अन्य न्यायालय में दाखिल किया गया है।

आवेदक के द्वारा धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हितो का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा चाहा गया है।

शिप्रा होटल लि० बनाम उ०प्र० राज्य आदि (2023) 156 एएलआर 375 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि–

"It is held that the CMM/DM acting under section 14 of the SRFAESI Act, 2002 is not required to give notice to the borrower at the stage of the decision or passing order as no hearing can be demanded by the borrower at this stage. However, it is clarified that the order passed Magistrate has to be duly served upon the borrower taking any steps for his forcible dispossission by such ste or use of force, as may be necessary in the opinion of the magistrate, and the date fixed for such forcible action shall be duly intimated to such borrower in advance giving him sufficient time to remove his belongings, or to make alternative arrangement."

Scanned with OKEN Scanner

इसी विधि व्यवस्था में आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट (CMM/DM) के द्वारा धारा–14 के तहत की जाने वाली जॉच मात्र दो सन्दर्भो तक ही सीमित है– (1) क्या प्रतिभूत सम्पत्ति न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है और (2) क्या धारा–13 (2) की नोटिस दी गई है या नहीं?

प्रतिभूत सम्पत्ति से सम्बन्धित इस प्रकरण की सुनवाई हेतु माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के आदेश दिनांकित–21.07.2025 के द्वारा यह पत्रावली इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सन्दर्भित / अन्तरित की गई है जिससे इस न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गया है। इस प्रकार जाँच का प्रथम सन्दर्भ पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा नोटिस दिनांकित–**10.04.2025** (रजिस्टर्ड एवं समाचार पत्र मे प्रकाशित) की प्रति दाखिल करके जाँच का द्वितीय सन्दर्भ भी पूरा किया जा चुका है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लि० बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य सिविल मि० रिट पिटीशन नं0–26893/ 2009 एवं शिप्रा होटल लि० बनाम उ०प्र० राज्य आदि (2023) 156 एएलआर 375** में प्रतिपादित सिद्धान्तों, मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक का आवेदन अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हितो का प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक **Bank of Baroda through Harish Kumar Jangid** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एनकेजीएसबी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम सुबीर चक्रवर्ती एवं अन्य (एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 30240/2019)** के मामले में यह माना है कि अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी है और इसलिए उसे सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने और उसे सुरक्षित लेनदार को हस्तांतरित करने का अधिकार है। सरफेशी की धारा–14(1–A) के तहत एडवोकेट कमिश्नर, जनपद न्यायालय, लखनऊ को कब्जा दिलाये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। प्रार्थी जनपद न्यायाधीश लखनऊ द्वारा एडवोकेट कमिश्नर, लखनऊ सूची से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक पैरवी करना सुनिश्चित करें। एडवोकेट कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिभूति सम्पत्ति/प्रश्नगत सम्पत्ति **Residential House No. SS/2/497, Sector– F, Jankipuram, Lucknow having Land area 30.00 Sq. Meter and Total Covered Area 41.821 Sq. Meter and the boundary of Property as per Sale Deed are East :– Plot No. S.S. 2/487; West :– 6.00 Mtr Wide Road; North :– Plot No. S.S. 2/480 ; South :– 6.00 Meter Wide Road** (जिसका विवरण प्रार्थना पत्र व विक्रय विलेख में वर्णित है), जो विपक्षीगण द्वारा उक्त लोन के एवज में बन्धक रखी गई थी, का कब्जा आवेदक को प्राप्त करायें। प्रार्थी कमिश्नर नियुक्त द्वारा कब्जा हस्तगत करने से पूर्व परिसर के अध्यासी को प्रश्नगत भवन/परिसर को खाली करने हेतु समुचित समय व अवसर प्रदान किया जाये, ताकि वह अपना आवश्यक सामान/परिवार को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित कर सके। प्रार्थी बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रश्तगत सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति या आदेश में उल्लिखित सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति का कब्जा किसी भी स्थिति में न लिया जाये। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत्त आवेदन पत्र अथवा शपथपत्र में असत्य तथ्य वर्णित किए जाते हैं अथवा किन्हीं तथ्यों को छिपाया जाता है, तो इसका समस्त विधिक उत्तरदायित्व आवेदक पर होगा।

2/11/26

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ,
कक्ष संख्या 28, लखनऊ

प्रमाणित प्रतिलिपि
7.2.26
प्रधान प्रतिलिपिक
जिला एवं सत्र न्यायालय
लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

संदीप कुमार मिश्रा
अधिवक्ता आयुक्त
जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ

sandeepkumarmishraadvocate@gmail.com
Contact Numbers: 9648951133

कार्यालय–404, डायमंड हिल्स अपार्टमेंट, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ

सेवा में,

दिनांकः 7 - 8 -2026

सेवा में,
आवाहक महोदय,
प्रयाग - जानकीपुरम।

1. श्री अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री विजय कुमार श्रीवास्तव
Partner of M/S Silverfox Food And Beverages
पता- हाउस नं0 एस.एस.2/479,
सेक्टर -एफ जानकीपुरम लखनऊ-226020
मो0नं0 7317327080, 7347777754
व
पता- हाउस नं0 505, बी ब्लॉक
विरासत अपार्टमेन्ट अवंती विहार,
शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़-492001
मो0नं0 7347777754, 7318327080

2. श्रीमती पलक जसवनी पत्नी श्री अभिषेक श्रीवास्तव
Partner of M/S Silverfox Food And Beverages
पता- हाउस नं0 एस.एस. 2/479, सेक्टर -एफ जानकीपुरम लखनऊ-226020
मो0नं0 7897340444,7348404040
व
हाउस नं0 - हाउस नं0 505, बी ब्लॉक
विरासत अपार्टमेन्ट अवंती विहार,
शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
मो0नं0 7897340444,7348404040

भौतिक कब्जे से पूर्व सूचना

श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ जनपद लखनऊ महोदय द्वारा प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सरफेसी एक्ट, 2002) की धारा- 14 के अन्तर्गत वाद संख्या- 123221/2025 बैंक ऑफ बड़ौदा ..... बनाम .... सिल्वर फाक्स फूड बंधक सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नवत हैं, को अधिगृहीत करने का आदेश दिनांक- 21.01.2026 को पारित किया है (आदेश की छायाप्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है)

बंधक सम्पत्ति का विवरण	सीमाये		थाना
Residential House No- SS/2/497, Sector-F, Jankipuram, Lucknow having land area 30.00 sq. meter and Total Covered Area 41.821 Sq. Meter and the boundary of Property as per sale Deed are East :-	East	Plote No S.S. 2/487;	JANKIPURAM
	West	6.00 Mtr Wide Road	
	North	S.S. 2/480;	
	South	6.00 Mtr Wide Road	

Scanned with OKEN Scanner

संदीप कुमार मिश्रा
अधिवक्ता आयुक्त
जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ
sandeepkumarmishraadvocate@gmail.com
Contact Numbers: 9648951133
कार्यालय-404, डायमंड हिल्स
~~अपार्टमेंट, सेक्टर बी, अलीगंज,~~
लखनऊ

उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस सम्पत्ति को 30 दिवस के अन्दर सामान सहित खाली कर दे अन्यथा दिनांक - 10-9-26 को अथवा उसके पश्चात किसी भी दिन किसी भी समय पुलिस बल के साथ कब्जे कि कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी

संम्लित: प्रति आदेश दिनांक : 21-1-26

S.K. Mishra
Sandeep Kumar Mishra
Advocate Commissioner
District & Session Court
Lucknow M No. 9648951133
(अधिवक्ता आयुक्त)

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 7/8/26

Scanned with OKEN Scanner